

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS
राजस्व मूल वाद संख्या:- 32/2024

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
लक्ष्मी उर्फ पपली पत्नी रामलाल जाति पटेल निवासी पटेलो का लूणी जोधपुर।		01.बागाराम पुत्र पुनाराम जाति पटेल निवासी ग्राम लूणी तहसील लूणी जोधपुर 02.रूधनाथ राम पुत्र श्री पुनाराम जाति पटेल निवासी ग्राम लूणी तहसील लूणी जोधपुर 03.हीरकी पत्नी पुनाराम जाति पटेल निवासी ग्राम लूणी तहसील लूणी जोधपुर 04.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थिति -

- 01.वादीगण की ओर से अधिवक्ता सचिन दवे उपस्थित।
- 02.प्रतिवादीगण की ओर से प्रेम कुमार देवडा उपस्थित।

आदेश

दिनांक:-

01/1/2025

वादीनी का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.06.2024 को किया गया एव तहसीलदार लूणी को बटवाडा प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 04.07.2024 को पेश किया।

वादीनी व प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम खेडा सरेचा तहसील लूणी के खसरा नम्बर 685 रकबा 5.8032 हैक्टर भूमि मे नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 04.07.2024 मय मौका फर्द दिनांक 27.06.2024 को पेश की गई जिसके आधार पर वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार है-

खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	लगान	किस्म	
01.बागाराम पुत्र पुनाराम का हिस्सा 1/2 रूधनाथराम पुत्र पुनाराम का हिस्सा जाति पटेल सा देह खातेदार रहन बदस्तुर जमावन्दी।	685	3.8688	13.85	बारानी प्रथम
	01	3.8688	13.85	बारानी प्रथम
01.लक्ष्मीदेवी उर्फ पपली पत्नी रामलाल जाति पटेल सा देह लूणी खातेदार।	685	1.9344	6.93	बारानी प्रथम
	01	1.9344	6.93	बारानी प्रथम



बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बटवाडा प्रस्ताव में दर्ज पत्रावली का जांचने पर दोनों पक्षकाराण सहखातेदार होने के कारण वादीनी व प्रतिवादीगण को बटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी